निर्वाचन तत्काल
कैम्प बैग द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I   दिनांक: 13 मई, 2016

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
तमिलनाडु
चेन्नई।

विषय : **तमिलनाडु विधानसभा के साधारण निर्वाचन – वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी)सहित ईवीएम का प्रयोग – तत्संबंधी।**

महोदय,

आयोग के दिनॉक 21 मार्च, 2016 के निदेश संख्या 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I में तमिलनाडु के ऐसे 17 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है जहां मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु सभी वोटिंग मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर जोड़ा जाएगा। उपर्युक्त निदेशों को बाद में आयोग के दिनॉक 30 अप्रैल, 2016 के निदेश संख्या 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I के द्वारा संशोधित किया गया था ताकि उसमें केवल उन्हीं मतदान केन्द्रों को शामिल किया जा सके जिसमें निर्वाचकों की संख्या 1350 तक है। इस संबंध में आयोग के दिनॉक 07 मार्च, 2016 के पत्र का संदर्भ लिया जा सकता है। उक्त पत्र में यह निर्णय लिया गया था कि वीवीपीएटी सिस्टम को केवल 1350 से कम मतदाताओं वाले मतदान केन्द्र में प्रयोग किया जाएगा। निर्वाचन नामावलियों के सतत अ|तनीकरण के पश्चात आपके द्वारा जमा कराई गई मतदान केन्द्रों की सूची के आधार पर निदेशों में आगे और संशोधन किया गया है। दिनॉक 13 मई, 2016 के संशोधित निदेश एतदद्वारा संलग्न है।

2. ये निदेश तत्काल राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराए जाएं और उस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग के सूचनार्थ और रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।

3. उपर्युक्त निदेश आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निदेशों के बारे मे सूचित किया जाना चाहिए और जन संचार के सभी मीडिया माध्यमों के जरिए इन संशोधित निदेशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-
(एन. टी. भुटिया)
अवर सचिव

राज्य सरकार के राजपत्र में
तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 13 मई, 2016
23 वैशाख, शक 1938

<u>निदेश</u>

सं. 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर-खण्ड-। :-दिनांक 21 मार्च, 2016 के आयोग के निदेश सं. 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर-खण्ड-। एवं दिनांक 30अप्रैल, 2016 के तदन्तर निदेश सं. 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर-खण्ड-। का आंशिक संशोधन करते हुए, आयोग ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि दिनांक 21 मार्च, 2016 के निदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, तमिलनाडु विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में, इस अधिसूचना के अनुबंध –। में यथाविनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों में ड्रॉप बॉक्स के साथ प्रिन्टर का प्रयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव